न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 136/2025

सुर्यदेव सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपुत, निवासी 23 एस.टी.जी., तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

वादी—

बनाम

1. प्रतापसिंह उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह, जाति राजपुत, निवासी 23 एस.टी. जी., तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
2. रोनक कंवर चौहान उम्र 10 वर्ष पुत्री मदनसिंह, जाति राजपुत, निवासी डान्डुसर, तहसील बीकानेर, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता मदनसिंह पुत्र कानसिंह, जाति राजपुत, निवासी डान्डुसर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण——

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री मदन लाल पारीक	वादी
2.	श्री संदीप सैन	प्रतिवादी सं. 1 व 2
3.	राज पैरोकार	प्रतिवादी सं. 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 03/9/2025

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया निर्णय हेतु संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पता वही है जो उक्त वाद पत्र के शीर्ष में अंकित है। यह कि जहां तक दावा हाजा का सम्बंध है पक्षकारो की पारिवारीक वंशानली निम्न प्रकार से है

यह कि वादी के दादा श्री नोपसिंह पुत्र श्री जतनसिंह के नाम से चक 23 एस.टी. जी कें प.नं. 54/318 (47) कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख थी। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 23 एस. टी. जी. सां. 2059 बहक नोपसिंह संलग्न वाद—पत्र है।

यह कि दादा श्री नोपसिंह की मृत्यु के बाद यह भुमि उनकें तीन वारिस विशन कंवर पत्नी नोपसिंह, थानेश्वर सिंह —प्रतापसिंह पुत्रगण नोपसिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज हुई। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 23 एस. टी. जी. सां. 2059 संलग्न वाद—पत्र है।

यह कि वाद—पत्र की दफा 3 में वर्णित 6.325 हैक. भुमि दादा जी नोपसिंह की मृत्यु के बाद उनकें तिनो वारिसान श्रीमती बिशन कंवर थानेश्वर सिंह, प्रतापसिंह (प्रतिवादी सं. 1) को ब.हि.ब. प्राप्त हुई। दादी को सही नाम बिशनकंवर था जो राजस्व अभिलेख जरिये शुद्धि सही किया गया। दादी श्रीमती बिशनकंवर की मृत्यु के बा[illegible] बीघा भूमि में इनका 1/3 हिस्सा इनकें दो पुत्र थानेश्वर सिंह, प्रतापसिंह (प्रतिवा[illegible] 1) [illegible] ब.हि.ब. विरास्तन प्राप्त हुई और राजस्व अभिलेख में यह 25 बिघा [illegible] हुआ। इस भुमि पिता प्रतिवादी सं. 1 कों 1/2 हिस्सा विरास[illegible] जमाबंदी चक 23 एस[illegible] सं 2071 संलग्न वाद—पत्र है।

यह कि उक्त 6.325 हैक. भुमि में पिता प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व उनकें भाई थानेश्वरसिंह का 1/2 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ । यह भुमि इन दोनों के नाम संयुक्त में ब. हि. ब. दर्ज रही है। इन दोनों भाईयो नें आपसी सहमती से खाता विभाजन करवा लिया जो जरिये नामातरण सं. 435 दिनांक 05.04.2023 कें पिता प्रतिवादी सं. 1 प्रतापसिंह के नाम चक

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

कपिल Vs

23 एस.टी.जी. के प.नं. 58/318 (47), कि. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/4, 3/6, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 18/2, 19 ता 22, 23/2, की 3.143 हैक. नाली द्वितीय मय गै.मु.खाला भुमि दर्ज हुई प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 23 एस.टी.जी. सां. 2075 से 2078 संलग्न वाद–पत्र है। यह कि वाद–पत्र की दफा 5 में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 के नाम 3.143 हैक. भुमि पैत्रक सम्पति है। इस पैतृक कृषि भूमि के अलावा पिता प्रतिवादी सं. 1 प्रतापसिंह के नाम तहसील नवलगढ़ के गांव निरवाण में 3.15 बीघा व गांव चिराणा में 9 बीघा भूमि है जो इनकों दादा श्री नोपा सिंह से प्राप्त हुई भुमि है। उक्त दोनों तहसील पीलीबंगा की प्रश्नगत 3.143 हैक. व तहसील नवलगढ़ की समस्त भुमि पैतृक कृषि भुमि है जिसमें वादी का जन्म से हक निहित है। इस भुमि का काफी वर्षो पुर्व बहन बनिता कंवर के जीवनकाल में सभी सदस्यो की आपसी सहमती से धरू बंहवारा किया गया। वरवक्त बहवार इस भुमि को पैतृक सम्पति मानतें व स्वीकार करतें हुए इसी भुमि में वादी का जन्म हिस्सा होना स्वीकार कर प्रश्नगत चक 23 एस. टी.जी. की 3.143 हैक. भुमि वादी को दी गई। बहन वनीता कंवर ने अपना समस्त हिस्सा अपने भाई मुझ वादी को दे दिया था उसनें कोई हिस्सा नहीं लिया है। तब सें वादी इस प्रश्नगत भुमि बतौर खातेदार काबिज हो कर काश्त करता आ रहा है। इस बंटवारा में तहसील नवलगढ़ की भुमि प्रतिवादी सं. 1 कों प्राप्त हुई है। यह कि बहन वनिता कंवर की शादी श्री मदनसिंह से कर दी थी इन दोनों के एक पुत्री प्रतिवादी सं. 2 रोनक कंवर पैदा हुई। वनिता कंवर की मृत्यु हो चुकी है उसकी एक मात्र वारिस रोनक कंवर है जो अपनें पिता मदनसिंह के पास रहती है वही उनकें प्राकृतिक संरक्षक है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापसिंह के एक पुत्र वादी व एक पुत्री वनिता कंवर ही है। इनके अलावा अन्य कोई पुत्र पुत्री सन्तान नहीं है।

यह कि प्रश्नगत चक 23 एस. टी.जी. की 3.143 हैक. भुमि का वादी बतौर खातेदार काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का इस भुमि में कोई हक हिस्सा नहीं है । परन्तु राजस्व अभिलेख में यह भुमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है जिस कारण वादी कें अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादी घोषणा पानें का हकदार है। यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे मुताबिक घरू बंटवारा वादी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टालमटोल करते रहें परन्तु आज से 7 रोज पुर्व ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी सं. 3 के खिलाफ वादी को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हांसिल नहीं है परन्तु वह भु धारक है इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। यह कि वाद वादी श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकार एंवम् क्षेत्राधिकार का है जो 2 प्रतियों में व उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें –

(क). कि घोषित किया जावे कि वादी चक 23 एस.टी.जी. के प.नं. 58/318 (47), कि. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/4, 3/6, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 18/2, 19 ता 22, 23/2, की 3.143 है0 नाली द्वितीय मय गै.मु.खाला भुमि का खातेदार काश्तकार है।

(ख). कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय वादी के हित में समझे, वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग). कि खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट [illegible] दर्ज [illegible] किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। उभय पक्ष दिनांक 18.0[illegible]25 [illegible] उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयम् हाजिर आये तहरीर[illegible] पेश किया गया राजीनामा राजीनामा पक्षकार निम्न प्रकार से है–यह कि वादी एवं प्रतिवादी[illegible] एक ही परिवार के सदस्य है इनका आपस में राजीनामा हो गया अब कोई विवाद नहीं है। यह कि वादी के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता श्री नोपसिंह पुत्र श्री जतनसिंह के नाम से [illegible]क 23 एस.टी.जी. कें प.नं. 54/318 (47) कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है0 भुमि दर्ज राजस्व अभिलेख थी। यह कि श्री नोपसिंह की मृत्यु के बाद यह भुमि उनकें तीन वारिस विशन कंवर पत्नी नोपसिंह, थानेश्वर सिंह–प्रतापसिंह पुत्रगण नोपसिंह के नाम ब.हि.ब. दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि राजीनामा की दफा 2 में वर्णित 6.325 हैक. भुमि श्री नोपसिंह की मृत्यु के बाद उनकें तिनो वारिसान श्रीमती बिशन कंवर थानेश्वर सिंह, प्रतापसिंह (प्रतिवादी सं. 1) को ब. हि. ब. प्राप्त हुई। दादी व माता का सही नाम विशनकंवर था जो राजस्व अभिलेख जरिये शुद्धि सही किया गया। श्रीमती बिशनकंवर की मृत्यु के बाद यह 25 बीघा भूमि में इनका 1/3 हिस्सा इनकें दो पुत्र थानेश्वर सिंह, प्रतापसिंह (प्रतिवादी सं. 1) कों ब. हि. ब. विरास्तन प्राप्त हुई और राजस्व अभिलेख में यह 25 बिघा भूमि में इन दोनों का नाम दर्ज हुआ। इस भुमि प्रतिवादी सं. 1 कों 1/2 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ। यह कि उक्त 6.325 हैक. भुमि में मुझ प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व भाई थानेश्वरसिंह का 1/2 हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ । यह भुमि हम दोनों के नाम संयुक्त में ब.हि. ब. दर्ज रही है। हम दोनों भाईयो नें आपसी सहमती से खाता विभाजन करवा लिया जो जरिये नामातरण सं. 435 दिनांक 05.04. 2023 के पिता प्रतिवादी सं. 1 प्रतापसिंह के नाम चक 23 एस.टी.जी. के प.नं. 58/318 (47), कि. न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/4, 3/6, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 18/2, 19 ता 22, 23/2, की 3.143 है0 नाली द्वितीय मय गै.मु.खाला भुमि दर्ज हुई।

कि राजीनामा की दफा 5 में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 के नाम 3.143 हैक. भुमि सम्पति है। इस पैतृक कृषि भूमि के अलावा प्रतिवादी सं. 1 प्रतापसिंह के नाम तहसील नवलगढ़ के गांव निरवाण में 3.15 बीघा व गांव चिराणा में 9 बीघा भूमि है जो इनकों श्री नोपा सिंह से प्राप्त हुई भुमि है। उक्त दोनों तहसील पीलीबंगा की प्रश्नगत 3.143 हैक. व तहसील नवलगढ़ की समस्त भुमि पैतृक कृषि भुमि है जिसमें वादी का जन्म सें हक निहित है। इस भुमि का काफी वर्षो पूर्व बहन बनिता कंवर के जीवनकाल में सभी सदस्यो की आपसी सहमती से धरू बंहवारा किया गया। वरवक्त बंहवार इस भुमि को पैतृक सम्पति मानतें व स्वीकार करतें हुए इसी भुमि में वादी का जन्म हिस्सा होना स्वीकार कर प्रश्नगत चक 23 एस. टी.जी. की 3.143 हैक. भुमि वादी को दी गई। बहन वनीता कंवर नें अपना समस्त हिस्सा अपने भाई वादी को दे दिया था उसनें कोई हिस्सा नहीं लिया है। तब सें वादी इस प्रश्नगत भुमि बतौर खातेदार काबिज हो कर काश्त करता आ रहा है। इस बंटवारा में तहसील नवलगढ़ की भुमि प्रतिवादी सं. 1 कों प्राप्त हुई है। यह कि बहन वनिता कंवर की शादी श्री मदनसिंह से कर दी थी इन दोनों के एक पुत्री प्रतिवादी सं. 2 रोनक कंवर पैदा हुई। वनिता कंवर की मृत्यु हो चुकी है उसकी एक मात्र वारिस रोनक कंवर है जो अपनें पिता मदनसिंह के पास रहती है वही उनकें प्राकृतिक संरक्षक है। प्रतिवादी सं. 1 प्रतापसिंह के एक पुत्र वादी वं एक पुत्री वनिता कंवर ही है। इनके अलावा अन्य कोई पुत्र पुत्री सन्तान नहीं है।

यह कि प्रश्नगत चक 23 एस.टी.जी. की 3.143 हैक. भुमि का वादी बतौर खातेदार काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का इस भुमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार कर ड़िक्री फरमाया जाकर वादी को चक 23 एस.टी.जी. के प.नं. 58/318 (47), कि. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/4, 3/6, 8/2, 9 ता 12, 13/2, 18/2, 19 ता 22, 23/2, की 3.143 हैक. नाली द्वितीय मय गै.मु.खाला भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

राजीनामा उभय पक्ष द्वारा सुन कर स्वीकार किय गया एवं हस्ताक्षर किये गए अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा पहचान की गई राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली है। वाद में स्टेट जवाब प्राप्त किया जा चुका है शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री संदीप सैन, अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये संरक्षक पिता ... स्वयम् हाजिर आये इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया कि मुताबिक वाद डिक्री ... जाती है तो प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। इकबाल दावा शामिल ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3 राज पैरोकार ने इस अरिये का जबाब प्रस्तुत किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। इस संबंध में हमारे द्वारा राजस्थान

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

काश्तकारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यु अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी मे समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व गुप–6 विभाग जयपुर के पत्रांक प. 51 राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारीक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारीक समझौते पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख खातेदारी भूमि होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा व इकबाल दावा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा दावा व प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:– चक 23 एस.टी.जी. के प.नं. 54/318 (47) की 3.143 है0 नाली द्वितीय मय गै.मु.खाला भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाने के आदेश पारीक किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल–आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर
खण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 136/2025

सुर्यदेव सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपुत, निवासी 23 एस.टी.जी., तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

वादी–

बनाम

1. प्रतापसिंह उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री नोपसिंह उर्फ अनोपसिंह, जाति राजपुत, निवासी 23 एस.टी.जी., तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
2. रोनक कंवर चौहान उम्र 10 वर्ष पुत्री मदनसिंह, जाति राजपुत, निवासी डान्डुसर, तहसील बीकानेर, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता मदनसिंह पुत्र कानसिंह, जाति राजपुत, निवासी डान्डुसर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण––

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 03/09/2025

वादी की ओर से श्री मदन लाल परीक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

वादी को चक 23 एस.टी.जी. के खाता संख्या 90/25 के प.नं. 54/318 (47) की 3.143 है0 नाली द्वितीय मय गै.मु.खाला भुमि का खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आज दिनांक 03/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:20 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा